न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 225/2025
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1. बादल उर्फ वादु पुत्र जिन्दा जाति मुसलमान निवासी गोहड़ का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. अमीरखां 2. अहमद 3. करीम 4. जानू पि. जिन्दा 5. तहसीलदार एवं उप पंजियक धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री मिठू खान समेजा
विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.02.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा आगनशाह की ढाणी (गोहड़ का तला) खसरा संख्या 232, 404 रकबा कमशः 6.6206, 1.1331 हैक्टेयर व मौजा गोहड़ का तला के खसरा संख्या 70, 75 रकबा कमशः 12.1972, 13.6703 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त खेत में प्रार्थी का नाम बादल पुत्र जिन्दा के स्थान पर वादू पुत्र जिन्दा दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम घरेलू बोल–चाल की भाषा में दोनों नाम बादल उर्फ वादू पुत्र जिन्दा बोला जाता था एवं घरेलू नाम वादू पुत्र जिन्दा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में करवा दिया, जो प्रार्थी के वास्तविक नाम से भिन्न है।

प्रार्थी का नाम अशुद्ध लिखने व प्रार्थी ... के कारण गलत नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थी के ... आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बैक पासबुक व बिजली बिल व अन्य पहचान दस्तावेजों में सही नाम बादल पुत्र जिन्दा दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूलवंश व त्रुटिवंश गलत नाम वादू पुत्र जिन्दा दर्ज हो गया। जिसे शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस/रजि. डाक से भेजे गये। तथा प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम वादू पुत्र जिंदा के स्थान पर बादल पुत्र जिंदा नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ, मौजा आगनशाह की ढाणी (गोहड़ का तला) खसरा संख्या 232, 404 रकबा क्रमशः 6.6206, 1.1331 हैक्टेयर व मौजा गोहड़ का तला के खसरा संख्या 70, 75 रकबा क्रमशः 12.1972, 13.6703 हैक्टेयर में दर्ज वादू पुत्र जिन्दा के स्थान पर बादल पुत्र जिंदा नाम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested